

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1666 / 2022 दिनांक : 16.05.2022

श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ0895), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर को दिनांक 14.03.2022 से 23.03.2022 तक 10 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती औदित्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (विगीकरण) 16.05.2022
दिनांक : 16.05.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/66/2015/-3493

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर को उनके पत्रांक 1190 दिनांक 27.04.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ0895), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर।

सहायक रजिस्ट्रार